विचार बिन्दु

विजय गर्व और प्रतिष्ठा के साथ आती है पर यदि उसकी रक्षा पौरुष के साथ न की जाय तो अपमान का ज़हर पिला कर चली जाती है। -मुक्ता

देश व लोकतंत्र के हित में चुनाव आयोग केवल सक्रिय ही नहीं, किंतु निष्पक्ष भी हो और ऐसा दिखे भी

लगभग निम्न आशय की बात चुनाव आयोग के हवाले से प्रिंट, टीवी व सोशल मीडिया में घूम रही है ::---

पर उठाए जा रहे बेबुनियादी सवालो से डरकर, चुनाव आयोग ऐसे लोगों के बहकावे में आकर --

1. मरे हुए मतदाताओं
2. स्थाई तौर से प्रवास के गए मतदाताओं
3. दो जगह वोट बनवा चुके मतदाताओं
4. फर्जी मतदाताओं
5. विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी बात डालने वाले लोगों को

पहले बिहार में और फिर पूरे देश में, संविधान के विरुद्ध जाकर बात डालने की अनुमति दें???

चुनाव आयोग भारतीय संविधांन के अंतर्गत गठित एक शक्तियुक्त आयोग है जिस पर देश में निष्पक्ष चुनाव करने का बहुत बड़ा दायित्व है। राजनीतिक दलों को भी बिना बात उसकी गरिमा को बेवजह ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, यह बात तो सामान्य से सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी मानेगा।

किंतु उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि चुनाव आयोग भी पूर्ण निष्पक्षता से अपना दायित्व निभाए।

कौन इस से असहमत होगा कि मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों से हटे। यह रूटीन एक्सरसाइज चुनाव आयोग नियमित रूप से करता आया है, किसी ने प्रश्न उठाया क्या कि ऐसा नहीं किया जाए?? तो फिर यह प्रश्न ही क्यों??

इसी प्रकार जिन मतदाताओं का नाम दो जगह मतदाता सूचियों में है उनका नाम एक जगह से विलोपित होना चाहिए किन्तु ऐसे व्यक्ति को यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वह किस स्थान पर मतदान करना चाहता है?? क्या नहीं हो ऐसा?? जिन लोगों को रोजी-रोटी व सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए ग्रामीण व शहरी दोनों जगह रहना रहना पड़ता है जैसे कि अल्पायभोगी दिहाड़ी काम वाले लोग, किसान - मजदूर आदि। सामान्य बुद्धि तो कहती है मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करते वक्त ऐसे चिन्हित लोगों को अवसर दें कि वे कहां के मतदाता रहना चाहते है? केवल बीएलओ के द्वारा भरे या भराये गए गणना पत्र के आधार पर नाम काटना सरासर अन्याय होगा और सुनाव आयोग की साख भी कुछ तो कम होगी ही, चुनाव आयोग माने या न माने।

इसी प्रकार जिन मतदाताओं में स्थाई तौर पर पुराना निवास छोड़ कर नई जगह रहना शुरू कर दिया उनका नाम भी हटना चाहिए और मैं समझता हूं किसी राजनीतिक दल ने इसका विरोधी नहीं किया है। किंतु ऐसे मामलों में पूर्णतः निष्पक्ष रूप से जांच तो होनी चाहिए कि यह तथ्य सही है या BLO की लापरवाही है या कहीं BLO या BLA की मिलीभगत तो नहीं है, किसी दूसरे पक्ष के वोटर्स का नाम कटवाने की???

जो समाचार है उनके अनुसार, आयोग को ज्ञात हुआ है कि विदेशी व फर्जी मतदाताओं के वोट दूसरे लोग डालते है। यह तो अत्यंत ही गंभीर बात आयोग में बताई है। फिर तो पूरी चुनाव प्रक्रिया ही संदेह के घेर में आ जाएगी? अगर आयोग के हवाले से छपी खबर सही है तो फिर आयोग को पता है कि किन फर्जी व विदेशियों के वोट कौन डालता, डलवाता है???? फिर तो आयोग विस्तृत सूचनाएं देश के सामने आने दे।

हर चुनाव के बाद पोलिंग बूथ के बाहर ऐसे व्यक्ति शिकायत करते मिलते है कि पहले उसका नाम था अब नहीं, क्यों??

और अब आयोग के द्वारा, मतदाता सूचियों में से फर्जी व विदेशी मतदाताओं के हटाने की बात पर विचार करे। शायद ही कोई असहमत होगा कि फर्जी व विदेशी लोगों के नाम मतदाता सूचियों में से हटने चाहिए? प्रश्न यह है कि आयोग ने यह प्रश्न पूछा क्यों? सबसे पहले आयोग ही स्पष्ट करे कि फर्जी और विदेशी मतदाताओं की पहचान कैसे की? ऐसे लोगों की सूची जारी करे जिन्हें आयोग फर्जी या विदेशी मानता है और उसके आधार बताए।

ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में, निम्न कारणों से होना संभव है ::-- की निष्क्रियता, लापरवाही के कारण या फिर BLO और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की मिलीभगत हो। यह मिली भगत पहले संभव थी तो अब भी हो सकती है। बहुत से लोगों को झूठमूठ मृत बताया जा सकता है, निवास छोड़कर अन्यत्र बसाना बताया जा सकता है।

इसलिए आयोग को आगामी एक माह में ऐसे समस्त लोगों जिन्हें मृत या निवास छोड़ गए बात रहे है, उनकी बूथवार सूची बूथ पर, पंचायतों में, पटवारियों के पास, तहसील कार्यालयों में व पॉलिटिकल पार्टियों को उपलब्ध करानी चाहिए ताकि जिन को आपत्ति हो वे आपत्तियां दर्ज कर सकें।

जो समाचार है उनके अनुसार, आयोग को ज्ञात हुआ है कि विदेशी व फर्जी मतदाताओं के वोट दूसरे लोग डालते है। यह तो अत्यंत ही गंभीर बात आयोग में बताई है। फिर तो पूरी चुनाव प्रक्रिया ही संदेह के घेर में आ जाएगी?

अगर आयोग के हवाले से छपी खबर सही है तो फिर आयोग को पता है कि किन फर्जी व विदेशियों के वोट कौन डालता-डलवाता है???? फिर तो आयोग विस्तृत सूचनाएं देश के सामने आने दे।

चलते-चलते, आम आदमी की जिज्ञासा है कि कौन देश का नागरिक कोन विदेशी, इसकी पहचान कौन दफ्तर कौन अधिकारी करते हैं? नागरिक होने का प्रमाण पत्र लेना हो तो चुनाव कार्यालय में दरख्वास्त दें या अब जो वोटरलिस्ट जारी करेगा आयोग वही प्रमाण पर्याप्त होगा नागरिकता दिखाने के लिए। वैसे कानून जानने वाले लोग मानते है कि चुनाव आयोग को नागरिकता की जांच का अधिकार नहीं। अब यह सही है या नहीं यह तो सुप्रीम कोर्ट या सरकार या चुनाव आयोग जाने।

यों ही, एक बात सुनते आए है कि न्याय हो यही पर्याप्त नहीं, न्याय होता दिखना भी चाहिए। एक न्यायाधिकारी के सामने मुकदमा पेश होने के बाद सभी पक्षकारों और उनके पैरवी कर्ताओं को सुना जाता है। फैसले में सारी बातें विस्तार से लिखी जाती है। जो भी कानून के बातें कही जाती है वे लिखी जाती है। इन सभी पर न्यायाधीकारी अपना मत व्यक्त कर फैसला देता है। इस से न्याय हुआ दिखता है। फैसला तो यों भी हो सकता है कि सब को सुनने के बाद यह मानता हूं कि यह यह बात सही है और यह आदेश दिया जाता है ----? नहीं? किंतु नहीं क्यों कि ऐसा करने से न्याय होता दिखता नहीं।

अल्पज्ञानि सामान्य आदमी का तो मानना है कि यह बात चुनाव आयोग भी लागू होती है। चुनाव आयोग कोई छोटे अधिकारियों का दफ्तर नहीं जहां कोई गलती कर दे तो ऊपर के दफ्तरों में जाने के रास्ते है। यदि चुनाव आयोग मतदाताओं का नाम बिना पूर्ण- विस्तृत जांच के नाम काटी दे तो लोकतंत्र में इस से घातक ओर क्या बात होगी??

चुनाव आयोग का सम्मान होना ही चाहिए किंतु इसके लिए आयोग को भी निष्पक्ष दिखना ही होगा।

-अतिथि सम्पादक,
महावीर सिंह, पूर्व आइ ए एस

दहेज : परम्परा या अभिशाप?

अर्पिता माथुर

क्या हम सच में चाँद पर पहुँच गए हैं या अब भी पुरानी सोच में जकड़े हैं?।

"सोचिए, जिस लड़की ने तीन साल पहले अपने सपनों की शादी की थी, वही दहेज के बोझ से दबकर अपनी जान दे बैठी।"

राजस्थान के जयपुर में हाल ही में दो विवाहित महिलाओं की मौत की खबर आई। वैशाली नगर में तीन साल पहले लव मैरिज करने वाली महिला ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी ओर श्याम नगर में एक और विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई जहाँ पीहर पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया। ये घटनाएँ चौंकाती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सच में चाँद पर पहुँच गए हैं या अब भी पुरानी सोच में जकड़े हैं?। और भी कई ऐसी घटनाओ ने समाज को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम चाहे चाँद तक पहुँच जाए लेकिन समाज की कुछ रीति-रिवाजों का बोझ जीवन भर सहना पड़ेगा। वैसे रीति-रिवाजों के विरोध में नहीं हूँ मैं लेकिन कुछ रीति-रिवाज़ों का अपना ऐतिहासिक महत्त्व रहा है, बस समाज ने बिना ज्ञान के अपनी मानसिकता के बल पर अन्य प्रकार से उन्हें ग्रहण किया है और अब आने वाली पीढ़ी पर थोप रहे हैं।

न केवल भारत में बल्कि यूरोप, अफ्रीका और दुनिया के अन्य भागों में भी दहेज प्रथा का लम्बा इतिहास है। भारत में इसके और भी कई नाम है जैसे हुँडा या वर-दक्षिणा। इतिहास में इसे एक परम्परा के रूप में देखा जाता था जिसका ऐतिहासिक सन्दर्भ कई लेखों और चित्रों में भी मिलता है। जिसे यहाँ प्रदर्शित करना एक नयी बहस शुरू कर देगा। क्यूंकि मेरा और मेरे जैसे कितने पत्रकारों का यही मकसद रहने वाला है कि इस प्रथा को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाये न कि जंग से प्रस्तुत किया जाए.. खैर.. भारत में दहेज, भले ही वर्ष 1961 से दहेज निषेध अधिनियम के तहत अवैध घोषित है, फिर भी इसे आज भी एक सामाजिक प्रथा के रूप में देखा जाता है। वधू यानि लड़की के परिवार द्वारा नक़द या वस्तुओं के रूप में यह वर यानि लड़के के परिवार को दिया जाता है। कई परिवार इसे विवाह का जरुरी हिस्सा मानते हैं और अक्सर इसे उपहार का नाम देकर रूप में ढाब दिया जाता है। समाज में अभी भी ये मानसिकता नजर आती है जहाँ उस लड़की की अहमियत उसके जीवन की उपलब्धियों से नहीं, उसकी शिक्षा से नहीं, उसके संस्कारों से नहीं नापी जाती है, बल्कि वह कितना दहेज लेकर आई, इससे तय की जाती है। और इसी दबाव के कारण परिवार दहेज की मांगों को पूरा करने के लिये मज़बूर हो जाते हैं, और यही मजबूरी बन जाती है बेटियों की ज़िन्दगी का कलंक उत्पीड़न, हिंसा और मौत के रूप में। कुछ बेटियां संस्कारों और माता पिता के सम्मान को बचाने के बोझ तले पूरी ज़िन्दगी गुजार देती है।

आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2017 से 2022 के बीच, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर साल औसतन 7,000 दहेज से संबंधित हत्याएँ दर्ज हुईं। वैसे में ये कहूँगी की के आँकड़ें अपवादित भी हो सकते है क्योंकि दहेज से होने वाली अनेक मौतें रिपोर्ट ही नहीं की जातीं, जो इस समस्या की गंभीरता और हम अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक है उसकी तरफ एक इशारा है। वहीं दहेज के लिए तंग करने पर कानून सख्त सज़ा देता है जैसे धारा 498-ए: अगर पति या उसके घरवाले दहेज की मांग करके पत्नी को परेशान करें, तो उन्हें 3 साल तक जेल और जुर्माना हो सकता है।

धारा 406: अगर पत्नी का गहना या उसका सामान वापस नहीं करते, तो 3 साल तक जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 304-बी: अगर शादी के 7 साल के अंदर दहेज की वजह से महिला की संदिग्ध मौत हो जाए, तो 7 साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है। हालांकी दहेज का विवाह के साथ अटूट संबंध है लेकिन दहेज निषेध अधिनियम, 1961 का अनुच्छेद 3 निर्दिष्ट करता है कि दहेज देने या लेने का दंड उन उपहारों पर लागू नहीं होता है जो दूल्हा या दुल्हन को शादी के समय दिए जाते हैं जब उनकी कोई मांग नहीं की जाती है।

गाँव हो या शहर, अमीर हो या गरीब - दहेज प्रथा की जड़ें बहुत गहरी हैं जिसका दूसरा छोर ढूंढ़ने से भी नहीं मिलेगा। जहाँ एक और महिलाओं को अब भी यानि मॉडर्न समाज में दहेज के लिये उत्पीड़न, मारपीट और आत्महत्या जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि जाँच प्रक्रियाएँ इतनी लंबी होती हैं की दोषियों को सजा मिलना और बेक़सूर को न्याय मिलना ऊँट के मुँह में जीरा मिलने समान है। सबसे बड़ी समस्या तो सोच की ही है. बेटी को आज भी 'पराया धन' समझा जाता है। वहीं दिखावा और समाज में 'स्टेटस मेन्टेन' करने की होड़ मची है । अपराधियों में कानून का डर ही नहीं है क्यूंकि कई केस दबा दिए जाते हैं या रिपोर्ट नहीं होते। अपराधियों के हौंसले और बुलंद हो जाते है। कुल मिलाकर समस्या समाज की मानसिकता में है। दोनों पक्षों को अपना अपना सामाजिक स्टेटस बढ़ाना है चाहे आतंरिक स्थिति हिचकोले खा रही हो। उनकी इसी सोच का भुगतान उनकी बेटी और बहु ही नहीं उससे सम्बंधित हर व्यक्ति को करना पड़ता है। एक जीवन के खोने से केवल वो व्यक्ति नहीं जाता उसके साथ चली जाती कई यादें, टूट कर बिखर जाते है कई सपने, उनके माता पिता की उम्मीदें और उनकी भावी पीढ़ी का भविष्य।

सामाजिक तौर पर समाज को बदलना होगा। अपनी चुप्पी को तोड़ना होगा और आवाज़ उठानी होगी। अगर आपके आस पास ऐसी कोई घटना आप महसूस करते है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत अवश्य करे और एक नहीं कई ज़िन्दगियों को आप बचा सकते है। परिवार मिलकर 'नो डाउरी शादियाँ' अभियान चलाएँ। वहीं न्यायिक तौर पर ऐसे फैसले तेजी से हों और कठोर हो ताकि समाज में डर पैदा हो। मानसिक तौर पर हमे सोच में बदलाव लाना होगा। बेटी को बोझ नहीं, बराबरी का अधिकार दें। दहेज़ के रूप उन्हें शिक्षा और आत्मनिर्भरता सौंपे। बेटियों को मजबूत बनाएं।। भले ही आज हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं,चाँद तक पहुँच रहे है, लेकिन अगर दहेज की वजह से बेटियाँ जलती रहें तो ऐसे विकास और प्रगति का क्या मतलब? कन्या दान पुण्य है, लेकिन कन्या की जान लेना सबसे बड़ा पाप।समाज को मिलकर सोचना होगा -"क्या हम अगली पीढ़ी को भी यही दर्द सौंपना चाहते हैं?"

-अर्पिता माथुर (पत्रकार)

कारगिल युद्ध : भारतीय सेना और सैनिकों की गौरव गाथा

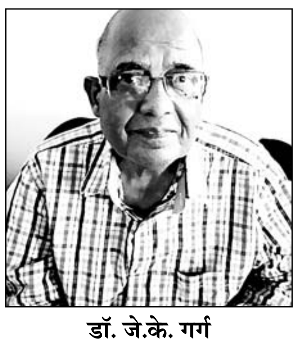

डॉ. जे.के. गर्ग

निसंदेह कारगिल संघर्ष दुनियांभर के पहाड़ी इलाकों में अत्याधिक ऊंचाई पर लड़ी गई लड़ाईयों में से एक लड़ाई है। कारगिल संघर्ष परमाणु बम शक्ति सम्प्पन भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ पहला सशस्त्र युद्ध था। जहाँ 1965 में हम लाहोर तक पहुच गये और पाकिस्तान के होंसले पस्त कर दिए थे इस युद्ध की परिणीती तास्कन्द समझोते में हुई थी, वहीं 1971 में पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित करके एक नये राष्ट्र बंगलादेश को जन्म दिया था। यह युद्द इंदिराजी जी के विलक्षण प्रतिभा का प्रमाण था, वहीं बीसवी शदी का निर्णायक एकमात्र युद्ध भी था जिसमें 93000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर भारतीय सेना के गौरव को उच्चतम शिखर पर पहुचा कर विजय पताका फहरा कर तिरगें की शान बढ़ाई थी।

कारगिल युद्ध को मोटे तोर पर तीन चरणों में विभक्त किया जा सकता है।

पहिले चरण में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर एक पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सामरिक स्थानों पर क़ब्ज़ा कर लिया था। दूसरे चरण में भारत के सुरक्षा बलों और सेना ने घुसपैठ का पता लगाकर अपने सुरक्षाबलों को अविलंब जबाबी हमले के लिए लामबंद करना शुरू किया था। तीसरे चरण में भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर लड़ाई हुई जिसमें पाकिस्तानी सेना को अग्रिम भागों से पीछे हटना पड़ा। कारगिल युद्ध भारत की सेना के पराक्रम शीर्य का परिचायक है वहीं इस लड़ाई में भी पाकिस्तानी शासकों एवं उसकी सेना की इतिहास को दोहराते हुए करारी पराजय हुई थी।

पाकिस्तान की सेना और तथाकथित कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। संघर्ष की प्रारम्भिक अवस्था में पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले उसके नियमित सैनिक नहीं हैं वरन वे सभी कश्मीरी उग्रवादी-जिहादी हैं। पाकिस्तान के इस सफेद झूट का शीघ्र ही पर्दाफाश हो गया क्योंकि युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों, हथियारों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप मेंइस युद्ध में शामिल थी। कारगिल- द्रास सेक्टर में हुए संघर्ष में लगभग 30000 भारतीय सैनिकों ने भाग लिया वहीं पाकिस्तान के नियमित सैनिकों के अलावा करीब 5000 घुसपेठीयें ने भी पाक सैनकों की मदद की थी। भारतीय सेना ने इस लड़ाई में बोफोर्स तोपों का प्रयोग किया इन तोपों ने दुश्मनों पर कहर बरपा। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के अंतर्गत कठिन भौगोलिक परिस्थतीयों के बावजूद थल सैनिकों की सहायता की थी। भारतीय नोसेना ने ऑपरेशन तलवार के अंतर्गत पाकिस्तानी बंदरगाहों विशेषतया कराची बंदरगाह की नाके बंदी कि जिससे पाक सैनिकों को कोई मदद नहीं मिल सके। भारतीय नोसेना की उत्तरी एवं पश्चिमी फ्लीट ने उत्तरी अरब सागर के क्षेत्र में आक्रमक पेट्रोलिंग कर पाकिस्तान के समुद्रीय व्यापार के लिये गम्भीर चुनोती उत्पन्न कर उसके सामुद्रिक व्यापार को क्षति पहुचाई। इस लड़ाई में भारतीय सेना के तीनो अंग थल,वायु एवं नो सेना परस्पर अनुकरणीय समन्वय का परिचय दिया जिसके फलस्वरूप इस युद्ध में भी हमें विजयश्री प्राप्त हुयी। युद्ध समाप्ति के तुरंत बाद में पाकिस्तान ने दावा किया उसके मात्र 375 सैनिक ही मारे गए हैं लेकिन बाद में सच्चाई सामने आई कि पाक के तकरीबन चार हजार सैनिक करगिल संघर्ष में मारे गए हैं। भारतीय सेना के मुताबिक 543 अफसर और जवान शहीद हुए जबकि करीब 1300 जख्मी हुए। महज एक भारतीय सैनिक को युद्ध बंदी बनाया गया था। कारगिल संघर्ष के समय जहाँ अमेरिका नें पाकिस्तान को नियन्त्रण रेखा के उल्लघन का दोषी माना था वहीं 8 देशों, यूरोपियन यूनियन एवं के क्षेत्रीय संघटन ने भी पाकिस्तान की आलोचना कर सघंर्ष समाप्त करने एवं नियन्त्रण रेखा के उल्लघन को रोक कर सघर्ष के पूर्व वाली स्थिती पर लोटने को कहा। अमेरिकन राष्ट्रपति क्लिंटन और नवाज शरीफ के संयुक्त व्यक्तय में नियन्त्रण रेखा का सम्मान करते हुए भारत-पाकिस्तान के विवादों को बातचीत से शांतीपूर्ण तरीकों से सुलझाने को कहा। चारों ओर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज़ शरीफ ने बचे हुए पाकिस्तान के सैनिकों को भारतीय सीमा के अन्दर वाले क्षेत्र से पीछे हट जाने का आदेश दिया।

भारत की विजय के साथ 26 जुलाई 1999 को संघर्ष समाप्त हुआ। कारगिल युद्ध में भारत की विजय की स्मृति में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। समस्त भारत में इस कारगिल युद्ध के दौरान अद्भुत राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना देखने को मिली थी। वहीं पाकिस्तान की पराजय के कारण पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई जिसकी परिणति में नवाज़ शरीफ़ निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर वहां की सेना के प्रमुख परवेज़ मुशर्रफ़ राष्ट्रपति बन गए। कारगिल युद्ध के अनेकों शूरवीर बहादुर एवं फोलादी इरादों वाले जवानों में अनुज नायर, विक्रम बत्रा एवं योगेन्द्र यादव तो प्रमुख हैं ही, भारत को उनके और उनके साथियों की वीरता तथा फोलादी देश भक्ति के इरादों से युद्ध में निर्णायक विजयश्री मिली थी। इस लड़ाई में मुख्य विजय टाईगर हिल्स पर कब्जें पर थी।

कारगिल युद्ध के उपरोक्त नायकों के अतिरिक्त कारगिल संघर्ष के अन्य हीरों यथा केप्टिन जेरी प्रेमराज, केप्टिन शशि भूषण घड़ियाल, सूबेदार रघुनाथ सिंह एवं हवलदार सीसराम गिल के योगदान को भी समूचा राष्ट्र हमेशा याद रक्खेगा। कारगिल विजय पर्व के 25वीं वर्ष गांठ के मोके पर समूचा भारत कारगिल संघर्ष के समस्त शहीदों को शतः शतः नमन करता है और उनके देशभक्ति के जज्बे को सलाम भी। समूचा राष्ट्र कारगिल विजय दिवस के मोंके पर भारत की अखंडता पर तिरछी नजर रखने वालों को कड़ी चेतावनी देता है कि वे अपनी नापाक हरकतों से बाज आयें। जय हिंद जय किसान जय जवान। भारत का बच्चा करें उनका सम्मान और सलाम।

-डॉ. जे.के. गर्ग,
पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक
कॉलेज शिक्षा जयपुर

पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्यभर में "बर्तन बैंक" बड़ी पहल बना

शादी व दूसरे साामाजिक समारोह के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम स्थल के आसपास कचरे के ढेर के बजाय साफ-सफाई नए राजस्थान की सुखद तस्वीर है। राज्य सरकार ने क्लीन कुकिंग को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक की व्यवस्था की है ताकि सरकारी और निजी कार्यक्रम में डिस्पोजल का उपयोग न करना पड़े। राज्यभर में इसी सोच को साकार करने की दिशा में 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित किये हैं।

बर्तन बैंक के एक सेट में स्टील की एक प्लेट, तीन कटोरी, एक चम्मच एवं एक गिलास कुल छः बर्तन होते हैं। एक ग्राम पंचायत में इनके 400 सैट उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रति ग्राम पंचायत 1 लाख रूपये मूल्य के बर्तनों की खरीद की गई है। प्रति सेट 3 रूपए किराया लिया जाता है ताकि इनका रखरखाव करने वाले राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूह को योजना संचालन में आसानी हो। ग्राम पंचायत विधवा, एससी, एसटी जैसे वर्गों के लिए आधा किराया माफ कर सकती है।

राज्य में अजमेर जिले में 27, अलवर में 30, बालोतरा 27, बांसवाड़ा 30, बांरा में 24, बाड़मेर में 30, ब्यावर में 18, भरतपुर में 21, भीलवाड़ा में 30, बीकानेर में 27, बूंदी में 15, चित्तौडगढ़ में 30, चूरू में 21, दौसा में 30, डीग में 15, धौलपुर 20, डीडवाना-कुचामन में 21, डूंगरपुर में 30, श्रीगंगानगर में 27, हनुमानगढ में 21, जयपुर में 30, जैसलमेर में 21 ,जालौर में 30, झुंझुंनू में 30, झालावाड़ में 24 ,जोधपुर 30, करौली 24, खैरथल-तिजारा 15, कोटा 20, कोटपुतली- बहरोड़ 20, नागौर 24, पाली 24, फलौदी 24, प्रतापगढ़ 24, राजसमंद 24, सलूम्बर में 20, सवाईमाधोपुर में 21, सीकर में 30, सिरोही में 20, टोंक 21 और उदयपुर में 30 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक की स्थापना की जा चुकी है।

इस योजना के सफल संचालन से भरतपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वच्छता के प्रति नई चेतना आई है। गरीब परिवारों को भी टैंट किराये से राहत मिली है। शादी समारोह में टैंट किराये में लगने वाला हजारों रूपये का खर्च बचने से बड़ी राहत मिली है, कचरे के ढेर, दुर्गंध, पर्यावरण क्षरण का कुछ हद तक समाधान हुआ है। जिले की पंचायत समिति सेवर में ग्राम पंचायत हथैनी, जघीना और जाटौली रथवान, पंचायत समिति भुसावर की बल्लभगढ, निठार और पथैना, उच्चैन की भैंसा, पिचूना और सहना, वैर की समराया, सरसैना और पाली, रूपवास की औडेलागद्दी, निभेरा और चैकोरा, नदबई की लखनपुर, कटारा और परसवारा एवं बयाना की बंधबरैठा, सालाबाद और गाजीपुर ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक खोले गए हैं। राज्य में इसके अतिरिक्त एक लाख लाभार्थियों को निःशुल्क इंडक्शन कुकटॉप वितरित करने का निर्णय लिया गया है। वेस्ट टू वैल्थ पार्क्स और क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डवलपमेंट सेंटर जैसे नवाचारों से पर्यावरण संरक्षण को तकनीकी मजबूती दी जा रही है। इसे गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे ग्रामीणों को भी सामूहिक आयोजनों में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की प्रेरणा मिलेगी।

यह लेख हरिओम सिंह गुर्जर, संयुक्त निदेशक, भरतपुर सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय और संतोष कुमावत, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), पंचायतीराज विभाग ने लिखा है।

राशिफल

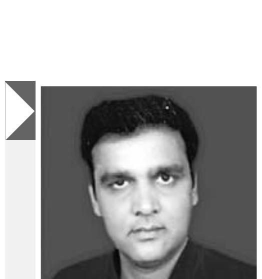

पंडित अनिल शर्मा

शनिवार 26 जुलाई, 2025

सावन मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, आश्लेषा नक्षत्र दिन 3:52 तक, व्यतिपात योग रात्रि 4:06 तक, बालव करण दिन 11:02 तक, चन्द्रमा आज दिन 3:52 से सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क चन्द्रमा-कर्क, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज चन्द्र दर्शन, उत्तर श्रृंगोन्नति, सिंजारा, अश्वत्थ मारूती पूजन, व्यतिपात पुण्य है। आज शुक्र मिथुन राशि में प्रातः 8:56 पर प्रवेश करेगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:32 से 9:12 तक, चर 12:33 से 2:14 तक, लाभ-अमृत 2:13 से 5:34 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:52, सूर्यास्त 7:14

मेष
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में शुभ-मांगलिक एवं महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। पारिवारिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है।

सिंह
घर-गृहस्थी और व्यक्तिगत खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।

कन्या
आर्थिक मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

तुला
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

वृश्चिक
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।

धनु
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

मकर
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में मांगलिक-धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

कुंभ
स्वास्थ्य में सुधार होगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में मांगलिक-धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में मांगलिक-धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।